1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग (राज0) कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर डीग

प्रकरण सं0 18/2024 (जी.सी.एम.एस. नं0 2024/222) पीठासीन अधिकारी :— श्री देवीसिंह (R.A.S.)

उनवान

देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी बरावली तहसील डीग जिला डीग

-------- प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार, तहसील डीग

------अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

वकील प्रार्थी :— श्री मुकेश कुमार

—:: निर्णय ::— दिनांक :— **10.05.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 67/0.33, 68/0.35 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थी द्वारा आराजी मुत0 पूर्व के खातेदार देवीराम पुत्र बुद्धी जाति जाटव निवासी बरावली तहसील डीग से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा आराजी खसरा नं0 89 को दिनांक 7.5.1982 को क्रय किया है जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल खसरा नं0 67/0.33, 68/0.35 बनाये गये है वक्त वयनामा प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव दर्ज है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम देवसिंह पुत्र रामस्वरूप दर्ज किया जा रहा है जो कि गलत है जब कि प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप है वयनामा में प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप है मगर राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से प्रार्थी का नाम देवसिंह पुत्र रामस्वरूप दर्ज किया जा रहा है जो कि गलत है जब कि प्रार्थी का नाम देवीसिंह है। प्रार्थी का नाम परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयकर विभाग(पेनकार्ड), जन आधार कार्ड, चिरंजीवी कार्ड में प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप है मगर राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से लिपिकीय भूल से देवसिंह पुत्र रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है जब कि प्रार्थी का सही नाम देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नं0 67/0.33, 68/0.35 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग में देवसिंह पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट** को दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग के पत्रांक: एलआर/2024/2821 दि0 21.11.2024 में अंकित किया गया है कि " उक्त उनवानी प्रकरण देवीसिंह बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग (राज.)

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

राज0 सरकार 136 एल0आर0एक्ट वाके ग्राम बरावली में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाही गई है जिस संबंध में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमा सवंत 2075–78 के खाता सं0 173 ख0नं0 67/0.33, 68/0.35 में देवसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/8 जाति जाटव नि0 बरावली दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त खाते पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय डीग के आदेश से स्थगन लगा हुआ है। ग्राम बरावली की मिसल बन्दोवस्त, जमा0 संवत 2047–50 तथा 2051–54 में ख0 नं0 67 व 68 में देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/8 जाति जाटव निवासी बरावली दर्ज रिकॉर्ड है जो सही है एवं रजिस्टर्ड बयनामा 1982 के अनुसार ही नाम देवीसिंह है। अतः वर्तमान रिकॉर्ड ग्राम बरावली के खाता सं0 173 में देवसिंह पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप किया जाना उचित है।"

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नं0 67/0.33, 68/0.35 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग में देवसिंह पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी दि0 7.5.82 को हुए बयनामा से सौदान पुत्र रामस्वरूप, बनैसिंह, देवीसिंह, इन्दरपाल पि0 रामस्वरूप जाति जाटव निवासी बरावली द्वारा क्रय की गयी थी जिसका उल्लेख मिसल बंदोवस्त के खाता सं0 24 में किया हुआ है। एवं जमाबंदी संवत 2051–54 के खाता सं0 137 एवं जमाबंदी संवत 2047–50 के खाता सं0 133 में भी देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/8 जाति जाटव निवासी बरावली दर्ज रिकॉर्ड है। अतः ख0नं0 67/0.33, 68/0.35 ग्राम बरावली खाता सं0 173 में देवसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव हि0 1/8 के स्थान पर देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/8 जाति जाटव शुद्ध किया जाना उचित रहेगा। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश है कि :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आ0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नं0 67/0.33, 68/0.35 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग में देवसिंह पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner